



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2639]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 10, 2015/अग्रहायण 19, 1937

No. 2639]

NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 10, 2015/AGRAHAYANA 19, 1937

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3325(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, वह भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, गुजरात राज्य के खेडा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंध, और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

प्रत्येक ऐसा आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी अर्थात्, जमीन संपादन अधिकारी, खेडा, पुराना कलेक्टर ऑफिस, खेडा, गुजरात को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को या तो वैयक्तिक रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जांच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधिन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है ।

अनुसूची

गुजरात राज्य के खेड़ा जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् वेस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण

जिले का नाम : खेड़ा

क्रम संख्या	तालुका का नाम	गांव का नाम	सर्वेक्षण सं. /प्लॉट सं.		क्षेत्रफल हेक्टर में
(1)	(2)	(3)	(4)(a)	(4)(b)	(5)
(1)	खेड़ा	वासणा बुजर्ग	111	111-क	0.1693
				111-ख	0.1065

[फा. सं. 2013/एलएमएल/II/12/8/डब्ल्यू सी/699]

अचल जैन, कार्यकारी निदेशक (भूमि और सुविधाएं-1)

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2015

S.O. 3325(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act,) the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the schedule annexed hereto, is required for the purpose of execution, maintenance, management and operation of the Special Railway Projects, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Kheda in the State of Gujarat, hereby declares its intention to acquire such land;

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the official gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 20D of the said Act;

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, Land Acquisition Officer, Kheda, Old Collector Office, At Kheda, Distt. Kheda, Gujarat in writing and shall set out the grounds thereof, and the Competent Authority shall give the objector and opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections;

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final;

The land plans and other details of the land covered under this notification are available, and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the Land to be acquired with or without Structure for the special Railway Project, namely, Western Dedicated Freight Corridor in the district of Kheda in the State of Gujarat.

Name of District: Kheda

Serial Number	Name of Taluka	Name of Village	Survey No./Block No.		Area in Hectares
(1)	(2)	(3)	(4) (a)	(4) (b)	(5)
(1)	Kheda	Vasna Buzarg	111	111-A	0.1693
				111-B	0.1065

[F. No. 2013/LML/II/12/8/WC/699]

ACHAL JAIN, Executive Director (Land and Amenities-1)